छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

:: अधिसूचना ::

नवा रायपुर, दिनांक 30 जुलाई, 2020

क्रमांक एफ 20–47/2013/11/6 :: चूंकि राज्य शासन एतद् द्वारा यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हैं,

अतएव राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07.03.2015 द्वारा जारी **"छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015"** में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :–

संशोधन

(एक) छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कंडिका–2.5 की उप कंडिका – 2.5.12 के पश्चात उप कंडिका – 2.5.13 के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जावे :–

2.5.13 प्रशासकीय विभाग को यह अधिकार होगा कि वह किसी/किन्हीं "अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) की परिस्थिति में किसी औद्योगिक क्षेत्र/किन्हीं विशेष प्रकरण में भू–भाटक, संधारण शुल्क, अन्य देय शुल्क के विषय में देय ब्याज/शास्ति में राहत प्रदान कर सकेगा किन्तु ऐसा किये जाने से पूर्व विभाग को इन नियमों के नियम 3.15 में विहित प्रक्रिया का पालन किया जाना अपेक्षित होगा।

(दो) छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कंडिका–3.15 के पश्चात उप कंडिका – 3.15.1, 3.15.2(अ) एवं 3.15.2(ब) के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जावे :–

3.15.1 इन नियमों के अंतर्गत किसी भी प्रावधान के संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग सक्षम होगा।

3.15.2(अ) इन नियमों के अंतर्गत किसी/किन्हीं प्रावधान के मामले में अत्यांतिक आवश्यकता की परिस्थिति में "अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) की स्थिति में प्रकरण के गुण–दोष को ध्यान में रखकर प्रशासकीय विभाग निर्णय लेकर किसी/किन्ही प्रावधान को शिथिल करने के संबंध में आवश्यक निर्णय ले सकेगा। किन्तु ऐसा किये जाने के प्रत्येक मामले में शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से प्रकरण का परीक्षण एवं अनुशंसा प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। समिति का गठन निम्नानुसार होगा :–

निरंतर.............2

1	*अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग*	:	*अध्यक्ष*
2	*सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि*	:	*सदस्य*
3	*सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आपदा प्रबंधन विभाग*	:	*सदस्य*
4	*सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि*	:	*सदस्य*
5	*आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़*	:	*सदस्य*
6	*प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी.*	:	*सदस्य सचिव*

3.15.2(ब) "अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) की स्थिति में लिये गये निर्णय प्रकरण विशेष के संबंध में ही लागू माने जायेंगे। इन निर्णयों को किसी अन्य प्रकरण के संदर्भ में पूर्वोदाहरण के रूप में उपयोग नहीं लाया जा सकेगा।

यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
एवं आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृ.क्रमांक एफ 20–47/2013/11/6, नवा रायपुर, दिनांक जुलाई 2020

1 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग/राजस्व विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर
2 संचालक, उद्योग संचालनालय, भू–तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर
3 प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, प्रथम तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर
4 समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार उद्योग केन्द्र, छत्तीसगढ़
5 नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर आग्रह है कि अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करावें।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग